इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 110] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च 2015—फाल्गुन 22, शक 1936

### विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2015 (फाल्गुन 22, 1936)

क्रमांक 6180/वि.स./विधान/2015.-मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 231 के उपनियम (3) के अनुसरण में सभा द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित संशोधन, जो दिनांक मार्च, 2015 के पत्रक भाग-दो में प्रकाशित होने पर प्रभावशील हुये, एतदद्वारा प्रकाशित किये जाते हैं :-

## संशोधन क्रमांक-1

1. ''नियम 44 के पश्चात् नवीन परन्तुक निम्नानुसार अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

''परन्तु यदि कोई प्रश्न, पुकारे जाने पर न पूछा जाये अथवा जिस सदस्य के नाम पर वह प्रश्न है, अनुपस्थित है तथा उसके द्वारा किसी अन्य सदस्य को प्राधिकृत भी नहीं किया गया है तो, अध्यक्ष किसी अन्य सदस्य के अनुरोध पर अनुपूरक प्रश्न पूछने तथा संबंधित मंत्री को उसका उत्तर देने का निदेश दे सकेगा .

यदि वह सदस्य जिसके नाम में मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न दर्शाया गया है, और वह प्रश्न नहीं पूछना चाहता है तो अध्यक्ष प्रश्न के महत्व को देखते हुए अन्य सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकेगा .''.

## संशोधन क्रमांक-2

2. ''अध्याय -7, प्रश्न शीर्षक के अन्तर्गत 'अल्पसूचना प्रश्न' नियम 50 के उपनियम (1) में शब्द ''इक्कीस दिन'' के स्थान पर शब्द ''पच्चीस दिन'' प्रतिस्थापित किया जाए. ''.

## संशोधन क्रमांक-3

3. ''अध्याय-11 में विद्यमान शीर्षक 'याचिकाएं' के स्थान पर शीर्षक 'याचिकाएं एवं अभ्यावेदन' स्थापित किया जाय तथा नियम 107 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नांकित नियम प्रतिस्थापित किये जाएं, अर्थात् :-

याचिका प्रस्तुत किये जाने की प्रक्रिया.

''107(2) सार्वजनिक हित के किसी एक विषय पर याचिका की सूचना सत्रकाल में सभा की बैठक प्रारंभ होने के एक घण्टे पूर्व तक प्रमुख सचिव को दी जा सकेगी, कोई सदस्य, एक दिवस में ऐसी एक से अधिक सूचना नहीं दे सकेगा.

(3) अन्त:सत्रकाल में कोई सदस्य एक माह में एक ही याचिका प्रस्तुत कर सकेगा.

(4) याचिका तथ्यात्मक तथा औचित्य टीप सहित प्रस्तुत की जायेगी तथा याचिका की भाषा सम्मानपूर्ण, शिष्ट एवं संयत होगी.

(5) याचिका की विषयवस्तु पूर्व में किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष निराकरण हेतु प्रस्तुत की गई है तो तदाशय का विवरण दिया जायेगा.

(6) यह भी स्पष्ट किया जायेगा कि याचिका की विषय-वस्तु का संबंध राज्य शासन से है या किसी स्थानीय निकाय से है.''.

## संशोधन क्रमांक-4

4. नियम 114 को नियम 114 के उपनियम (1) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाय तथा उसके पश्चात् नवीन उपनियम (2) को निम्नानुसार स्थापित किया जाय,अर्थात् :-

''114(2) सभा के विघटन के समय शेष प्रक्रियाधीन याचिकाएं व्यपगत मानी जायेंगी.''.

## संशोधन क्रमांक-5

5. नियम 114 के पश्चात् शीर्षक 'अभ्यावेदन' एवं नवीन नियम 114-क. निम्नानुसार स्थापित किए जाएं, अर्थात् :-

''अभ्यावेदन देने की प्रक्रिया.

114-क.(1) अध्यक्ष यदि उचित समझे तो यह निदेश दे सकेगा कि सार्वजनिक संस्थाओं, संघ या व्यक्तियों के द्वारा किसी ऐसे लोक हित के विषय के संबंध में जो सभा के अधिकार क्षेत्र में हों या प्रवर / तदर्थ समिति के विचारार्थ विषयों के संबंध में प्राप्त, अभ्यावेदनों आदि पर भी, जो याचिकाओं से संबंधित नियमों के अन्तर्गत नहीं आते हैं, याचिका समिति विचार करे.

(2) अभ्यावेदन की भाषा सम्मानपूर्ण, शिष्ट एवं संयत होगी. अभ्यावेदन उन्हीं मामलों से आनुषंगिक होगा जिनमें शासन की नीति, निर्देश तथा आदेशों के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित है.

(3) प्राप्त अभ्यावेदन परीक्षणोपरांत अध्यक्ष को प्रस्तुत किये जायेंगे. ऐसे अभ्यावेदन, जिन्हें अध्यक्ष के विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने के पूर्व विभागीय जानकारी / टिप्पणी अपेक्षित हो, ऐसी जानकारी आदेशोपरांत ही प्राप्त की जा सकेगी.

(4) सभा का विघटन होने पर प्रक्रियाधीन अभ्यावेदन व्यपगत नहीं होंगे.''.

## संशोधन क्रमांक-6

6. मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 169 (क) के पश्चात् नवीन नियम 169 (ख) निम्नानुसार जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"169(ख) विशेषाधिकार समिति को संदर्भित सभी मामले और प्राप्त सूचनाएं विधान सभा विघटित हो जाने की स्थिति में व्यपगत हुई मानी जायेंगी किन्तु समिति के ऐसे प्रतिवेदन जिन पर नियम 197 के अन्तर्गत अध्यक्ष ने मुद्रण, प्रकाशन या परिचालन का आदेश दिया हो, विधान सभा विघटित हो जाने की स्थिति में उनकी अनुशंसाओं का क्रियान्वयन नवीन गठित विधान सभा द्वारा किया जा सकेगा ."।

## संशोधन क्रमांक-7

7. नियम 229 एवं 230 तथा पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नानुसार नवीन नियम 229 एवं 230 तथा पार्श्व शीर्ष स्थापित किए जाएं, अर्थात् :-

"प्रतिवेदन पर विचार एवं संशोधन.

229 (1) प्रतिवेदन प्रस्तुत होने के बाद यथाशीघ्र सभापति या समिति के किसी सदस्य के नाम पर प्रस्ताव रखा जाएगा कि प्रतिवेदन पर विचार किया जाए.

(2) कोई सदस्य उपर्युक्त उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार के प्रस्ताव में संशोधन की सूचना ऐसे प्रपत्र पर दे सकेगा जिसे अध्यक्ष उपयुक्त समझे:

परन्तु यह संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा कि यह प्रश्न या तो परिसीमा के बिना या किसी विषय विशेष के संबंध में समिति को पुन: सौंपा जाए .

सभा द्वारा प्रतिवेदन विचार हेतु प्रस्तुत किये जाने के बाद प्रस्ताव.

230. उपर्युक्त नियम 229 के अन्तर्गत किए गए प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने के बाद, यथास्थिति, सभापति या समिति का कोई सदस्य या कोई अन्य सदस्य, प्रस्ताव कर सकेगा कि सभा प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों को स्वीकार करे / अस्वीकार करे या संशोधनों के साथ स्वीकार करे. " .

## संशोधन क्रमांक-8

8. नियम 232 के स्थान पर नवीन नियम 232 प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

### " (ट) सदस्य सुविधा समिति.

समिति का गठन एवं कृत्य

232. (1) प्रत्येक विधान सभा के आरम्भ होने के पश्चात्, यथाशीघ्र, विधान सभा सदस्यों के सुख-सुविधाओं एवं शासकीय अधिकारियों द्वारा सदस्यों के साथ किए जाने वाले असम्मानजनक व्यवहार से संबंधित समस्त विषयों पर विचार करने, मंत्रणा देने एवं असम्मानजनक व्यवहार से संबंधित शिकायतों की जांच कर सभा को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु 'सदस्य सुविधा समिति' की नियुक्ति की जाएगी. इसमें अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित 9 सदस्य रहेंगे, जिसमें से एक सभापति होगा.

(2) सदस्य, शासन के निर्देशों, आदेशों के विपरीत अथवा ऐसे आदेशों के उल्लंघन से संबंधित शासकीय कार्यालयों, शासकीय अधिकारियों द्वारा उनके साथ किए गए असम्मानजनक व्यवहार, दुर्व्यवहार की शिकायत, जो हाल ही में ही घटित हुई हो, अध्यक्ष को प्रस्तुत कर सकेगा.

(3) ऐसी किसी शिकायत के प्राप्त होने पर अध्यक्ष शिकायत की प्रारंभिक जांच के लिए अग्रसर होगा और ऐसी प्रक्रिया अपनाएगा, जैसी कि वह उचित समझे.

(4) प्रारंभिक जांच उपरांत अध्यक्ष या तो शिकायत को अग्राह्य कर सकेगा, या उसे जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के लिए समिति को संदर्भित कर सकेगा.

(5) समिति, उसे संदर्भित शिकायत की जांच में ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी, जैसी की विशेषाधिकार समिति के संबंध में विहित की गई है तथा शिकायत पर अपना प्रतिवेदन सभा को प्रस्तुत करेगी.

समिति यदि उचित समझे तो गंभीर मामलों को जांच एवं अनुशंसा के लिए विशेषाधिकार समिति को भेज सकेगी:

परन्तु ऐसा अध्यक्ष की अनुमति से हो सकेगा.

(6) सदस्य, क्षेत्रीय विकास निधि से उनके विधान सभा क्षेत्रों में स्वीकृत किये गये कार्यों के प्रस्तावों पर संबंधित अधिकारियों द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही न करने, प्रस्तावित कार्यों को आरंभ नहीं करने अथवा उसमें अनावश्यक रूप से विलंब करने संबंधी शिकायतें अध्यक्ष को प्रस्तुत कर सकेगा.

(7) ऐसी किसी शिकायत के प्राप्त होने पर अध्यक्ष शिकायत को जांच, प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के लिए समिति को संदर्भित करेगा.

(8) समिति, संदर्भित शिकायत की जांच में ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी, जैसा कि समिति अवधारित करे तथा शिकायत पर अपना प्रतिवेदन सभा को प्रस्तुत करेगी. ''.

## संशोधन क्रमांक-9

9. नियम 233 के स्थान पर, नवीन नियम 233 प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

**'' (ठ) पुस्तकालय, अनुसंधान एवं संदर्भ समिति.**

समिति का गठन.

233.(1) अध्यक्ष, पुस्तकालय, अनुसंधान एवं संदर्भ से संबंधित विषयों पर मंत्रणा देने के लिए उतने सदस्यों की पुस्तकालय, अनुसंधान एवं संदर्भ समिति नियुक्त करेगा, जितने कि वह आवश्यक समझे.

(2) समिति का कार्यकाल एक वर्ष होगा किन्तु नवीन समिति के गठित होने तक पूर्ववर्ती समिति कार्यरत रहेगी.

समिति के कृत्य

233-क. समिति के कृत्य निम्नानुसार होंगे-

(1) पुस्तकालय, अनुसंधान एवं संदर्भ शाखा की उन्नति के लिए सुझावों पर विचार करना ;

(2) पुस्तकालय, अनुसंधान एवं संदर्भ द्वारा दी गई सेवाओं से पूरा-पूरा लाभ उठाने में विधान सभा सदस्यों की सहायता करना ;

(3) पुस्तकालय,अनुसंधान एवं संदर्भ से संबंधित ऐसे विषयों पर विचार करना और मंत्रणा देना जो सभा द्वारा अथवा अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर विशिष्ट रूप से सौंपे जायें ; और

(4) प्रदेश हित के मामलों पर आवश्यक पठन सामग्री/जानकारी संबंधित विभाग से बुलाई जाकर सदस्यों को उपलब्ध कराना तथा आवश्यकता होने पर विभागीय अधिकारियों का मौखिक साक्ष्य लेना. ''.

## संशोधन क्रमांक-10

## तृतीय अनुसूची का संशोधन

10. तृतीय अनुसूची के भाग-3 के सरल क्रमांक 48 एवं उसके सम्मुख अंकित शब्दावली के पश्चात् नवीन सरल क्रमांक 49, 50, 51 एवं 52 तथा उनके समक्ष निम्नानुसार शब्दावली जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

"49. मध्यप्रदेश बाणसागर थर्मल कंपनी लिमिटेड,
50. मध्यप्रदेश नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड,
51. मध्यप्रदेश. श्री सिंगाजी पावर प्रोजेक्टस लिमिटेड, एवं
52. मध्यप्रदेश सैनिक कोल माइनिंग प्राईवेट लिमिटेड.".

## संशोधन क्रमांक-11

11. नियम 234-छ के पश्चात् नवीन नियम निम्नानुसार स्थापित किए जाएं, अर्थात् :-

"(द) आचरण समिति.

समिति का गठन. 234-ज.(1) चतुर्थ अनुसूची में सदस्यों के लिए उल्लिखित आचार संहिता के सामान्य नियमों का उल्लंघन एवं उनके अनैतिक आचरण की जांच हेतु विधान सभा के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में अध्यक्ष, आचरण समिति का गठन करेगा, जिसका कार्यकाल एक वर्ष का होगा.

(2) समिति में अधिक से अधिक ग्यारह सदस्य होंगे, जो अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित किये जायेंगे:

परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य नाम-निर्देशित नहीं किया जायेगा और यदि कोई सदस्य समिति के लिए नाम-निर्देशन के पश्चात् मंत्री नियुक्त किया जाय तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा.

समिति के कृत्य. 234-झ. (1) समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे:-

(क) समिति सदस्यों के नैतिक आचरण पर नजर रखेगी;

(ख) किसी सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायतों तथा मामलों की जांच करना, जो सदन अथवा अध्यक्ष द्वारा इसको सौंपे जाएं तथा ऐसी सिफारिशें करना, जो समिति उचित समझे; और

(ग) समिति उन कृत्यों को विनिर्दिष्ट करते हुए नियम बनाएगी, जो अनैतिक आचरण की श्रेणी में आते हैं.

(2) समिति, सदस्य के विधान सभा में अथवा उसके संसदीय आचरण से संबंधित किसी अनैतिक आचरण की, जहां भी वह आवश्यक समझे, स्वत: जांच कर सकेगी और ऐसी सिफारिश करेगी जो, वह उचित समझे.

शिकायत हेतु प्रक्रिया.

234-ञ. आचरण संबंधी शिकायतों हेतु प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

(1) कोई सदस्य, किसी अन्य सदस्य के विधान सभा में अथवा उसके संसदीय आचरण से संबंधित किसी अनैतिक आचरण के संबंध में शिकायत कर सकता है.

(2) शिकायत विधान सभा अध्यक्ष को संबोधित की जायेगी, जो इसे जांच एवं प्रतिवेदन हेतु विधान सभा की आचरण समिति के सभापति को अग्रेषित कर सकेगा.

(3) शिकायतकर्ता को अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए संबंधित साक्ष्य, दस्तावेज एवं अन्य ऐसे सबूत जो आरोपों को सिद्ध करने में सहायक हों, प्रस्तुत करने होंगे.

(4) शिकायतकर्ता के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि शिकायत असत्य, तुच्छ या परेशान करने वाली नहीं है.

(5) अपुष्ट या आधारहीन शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

(6) आचरण समिति किसी न्यायाधीन मामले पर विचार नहीं करेगी और इन नियमों के प्रयोजनार्थ समिति का यह निर्णय कि यह मामला न्यायाधीन है अथवा नहीं अंतिम माना जाएगा.

(7) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी अन्य विषय के होते हुए भी, अध्यक्ष किसी सदस्य के विधान सभा में अथवा उसके संसदीय आचरण से संबंधित किसी अनैतिक आचरण के मामले को जांच एवं प्रतिवेदन हेतु आचरण समिति को संदर्भित कर सकेगा.

शिकायत प्राप्त होने के बाद प्रक्रिया.

नियम 234-ट. (1) समिति को प्रेषित किसी शिकायत अथवा, समिति द्वारा स्वत: विचारार्थ लिये गये किसी मामले की समिति प्रारंभिक जांच करेगी:

परन्तु सभापति समिति द्वारा स्वत: विचारार्थ लिये गये मामले की जानकारी से तुरंत अध्यक्ष को अवगत करायेगा.

(2) यदि अध्यक्ष द्वारा किसी प्रकरण को समिति के पास भेजा जाता है और प्रारंभिक जांच के पश्चात् यदि समिति की राय में कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं बनता है तो वह यह सिफारिश कर सकेगी की प्रकरण पर विचार न किया जाय, तथा तदाशय की सूचना अध्यक्ष को देगी.

(3) यदि समिति स्वत: कोई प्रकरण विचारार्थ लेती है और प्रारंभिक जांच के पश्चात् समिति की राय में कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण नही बनता है तो वह प्रकरण को छोड़ने का निर्णय ले सकेगी और सभापति तदाशय की जानकारी अध्यक्ष को देगा.

(4) यदि समिति की राय में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण है तो समिति प्रकरण पर आगे जांच करेगी.

(5) समिति उसे प्रेषित प्रकरणों की जांच हेतु समय-समय पर प्रक्रिया निर्धारित कर सकेगी.

प्रतिवेदन.

नियम 234-ठ.(1) समिति की सिफारिशों को प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा .

(2) यदि अध्यक्ष कोई प्रकरण समिति के पास भेजता है तो प्रतिवेदन अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा, जो इसे सभा पटल पर रखने का निदेश देगा.

(3) यदि समिति स्वत: कोई प्रकरण विचारार्थ लेती है तो प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किया जाएगा.

(4) समिति के प्रतिवेदन में समिति द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करते हुए सभा द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख होना चाहिए.

प्रतिवेदन पर विचार.

234-ड (1) प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात्, सभापति या समिति का कोई अन्य सदस्य यह प्रस्ताव कर सकेगा कि प्रतिवेदन पर विचार किया जाए.

(2) प्रस्ताव को सभा के समक्ष रखने से पहले, अध्यक्ष प्रस्ताव पर वाद-विवाद की अनुमति दे सकेगा, जिसकी अवधि आधे घण्टे से अधिक नहीं होगी और ऐसे वाद-विवाद में प्रतिवेदन से इतर ब्यौरों का उल्लेख नहीं होगा.

(3) उपनियम (1) के अन्तर्गत किए गए प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने के बाद, यथास्थिति, सभापति या समिति का कोई सदस्य या कोई अन्य सदस्य, प्रस्ताव कर सकेगा कि सभा प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों को स्वीकार करे / अस्वीकार करे या संशोधनों के साथ स्वीकार करे. ''.

## संशोधन क्रमांक-12

12. मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-ड के पश्चात् नवीन पद एवं नियम निम्नानुसार स्थापित किए जाएं, अर्थात् :-

**'' (ध) स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समिति.**

समिति का गठन.

234-ढ.(1) राज्य के स्थानीय निकायों के विनियोग लेखे जिनसे संबंधित वार्षिक विवरण या अन्य लेखे या वित्तीय विवरणों की जो सभा पटल पर पटलित किये जायें, की जांच करने के लिये **'स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा परीक्षण समिति'** का गठन किया जायेगा .

(2) समिति में ग्यारह सदस्य होंगे, जो सभा द्वारा कुल सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे :

परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जायेगा और यदि कोई सदस्य समिति के लिए निर्वाचित होने के पश्चात् मंत्री नियुक्त किया जाय तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा.

(3) समिति के सदस्यों की पदावधि उस वित्तीय वर्ष की होगी जिसके लिए वह गठित की गई हो:

परन्तु समिति तब तक कार्य करती रहेगी जब तक दूसरी समिति का गठन न हो जाये.

समिति के कृत्य.

234-ण.(1) राज्य के समस्त नगर पालिक निगमों, नगर पालिक परिषदों, नगर परिषदों, समस्त पंचायतों और ऐसे अन्य स्थानीय निकाय जो स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम,

1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) में सम्मिलित हैं तथा जिनके आय-व्ययक विवरण सभा पटल पर रखे गये हों, की जांच करना,

(2) संचालक/परीक्षक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश के वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किये जा रहे हैं अथवा नहीं तत्संबंधी मामलों की जांच करना,

(3) शासकीय विभागों द्वारा स्थानीय निकायों को अनुदान एवं ऋण के रूप में जो धनराशि दी जाती है और जिनका लेखा परीक्षा, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा किया जाता है, उनके संबंध में यह जांच करना कि प्राप्त किये गये सरकारी अनुदानों एवं ऋण की राशि संबंधित संस्थाओं द्वारा उन्हीं कार्यों पर व्यय की गई है, जिनके लिये वह स्वीकृत की गई थी तथा उनके उपयोग में कोई वित्तीय अनियमिततायें तो नहीं बरती गई हैं ,

(4) स्थानीय निकायों के संबंध में सभा के समक्ष पटलित होने वाले भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों का परीक्षण करना एवं अन्य ऐसे मामलों की जांच करना जिन्हें समिति उपयुक्त समझे अथवा जो समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा सौंपे जायें.''.

## संशोधन क्रमांक-13

13. मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-ण के पश्चात् नवीन पद एवं नियम निम्नानुसार स्थापित किए जाएं, अर्थात् :-

### ''(न) कृषि विकास समिति.

समिति का गठन .

234-त.(1) कृषि तथा उससे संबद्ध क्षेत्रों के विकास हेतु शासन द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों एवं योजनाओं के पर्यवेक्षण/परीक्षण के लिये 'कृषि विकास समिति' गठित की जायेगी, जिसमें अधिक से अधिक ग्यारह सदस्य होंगे, जो अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित किये जायेंगे:

परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य नामांकित नहीं किया जायेगा और यदि कोई सदस्य समिति के लिये नामांकित होने के पश्चात् मंत्री नियुक्त किया जाय तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा.

पदावधि. (2) समिति की पदावधि एक वर्ष अथवा नई समिति के गठन के पूर्व तक की होगी.

समिति के कृत्य . (3) समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे :-

(क) कृषि तथा उससे संबद्ध क्षेत्रों जैसे पशुपालन, उद्यानिकी, मछली पालन, जल संसाधन, खाद, खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा आदि के संबंध में शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं एवं कार्यक्रमों का चयन कर उनकी समीक्षा करना,

(ख) कृषि उत्पादन बढ़ाने, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ एवं कृषि को रोजगारोन्मुखी बनाने तथा पर्यावरण के बदलते परिवेश से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर होने वाले प्रभाव एवं संभावनाओं आदि पर विचार करना,

(ग) कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों को आधुनिक व वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने तथा पर्यावरण के संरक्षण संबंधी कार्यों की समीक्षा करना,तथा

(घ) ऐसे अन्य मामलों जिनका संबंध कृषि एवं कृषि से जुड़े विषयों व योजनाओं से हो, का परीक्षण करना, जिन्हें समिति उपयुक्त समझे अथवा जो सभा द्वारा या अध्यक्ष द्वारा विशिष्ट रूप से सौंपे जायें.

(4) समिति अपने परीक्षण कार्य में सहयोग हेतु कृषि व संबद्ध क्षेत्रों के विशेषज्ञों से परामर्श कर सकेगी एवं आवश्यकतानुसार इस हेतु परामर्श मंडल का गठन कर सकेगी तथा अध्ययन प्रवास कर सकेगी.''.

## संशोधन क्रमांक-14

14. तृतीय अनुसूची के पश्चात् नवीन चतुर्थ अनुसूची अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात्:-

## "चतुर्थ अनुसूची

**मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्यों द्वारा सदन के भीतर एवं बाहर अपनाई जाने वाली आचार संहिता के सामान्य नियम .**

1. जब सदन की बैठक चल रही हो, तो सदस्य -
   (क) सदन की मर्यादा बनाए रखेगा;
   (ख) अध्यक्षीय पीठ को नहीं लांघेगा;
   (ग) जब पीठासीन अधिकारी बोलने/संबोधित करने के लिए खड़ा हो तो सदस्य अपना स्थान ग्रहण करेगा;
   (घ) सदन को संबोधित करते समय अपने लिए नियत स्थान पर ही रहेगा;
   (ड.) जब सदन में नहीं बोल रहा हो, तब शांति बनाए रखेगा;

2. जब सदन की बैठक चल रही हो, तो सदस्य-
   (क) अध्यक्ष के आसन की ओर पीठ करके न तो बैठेगा न ही खड़ा होगा;
   (ख) सदन में किसी प्रकार के बिल्ले नहीं लगायेगा न ही प्रदर्शित करेगा;
   (ग) सदन में ऐसे साहित्य, प्रश्नावली, पर्चे, प्रेस-नोट, इश्तिहार इत्यादि का वितरण नहीं करेगा जो सदन के कार्य से संबंधित न हों;
   (घ) सदन में डेस्क पर अपना हैट/टोपी नहीं रखेगा,सदन में धूम्रपान नहीं करेगा या बांह पर कोट लटकाकर सदन में प्रवेश नहीं करेगा;
   (ड.) विरोध-स्वरूप दस्तावेजों को नहीं फाड़ेगा;
   (च) अध्यक्ष/मंत्री/सदस्य/अधिकारीगण से किसी भी प्रकार के कागज व दस्तावेज की छीना झपटी नहीं करेगा;

(छ) सदन में इलेक्ट्रानिक गैजेट्स,कैसेट या टेप-रिकार्डर नहीं लायेगा या बजायेगा;

(ज) कार्यवाही में बाधा पहुंचाने वाले किसी भी सामान को सदन में नहीं लायेगा;

(झ) सदन एवं सदन के आस-पास के स्थानों में सत्याग्रह या धरने पर नहीं बैठेगा; तथा

(ञ) किसी अन्य सदस्य को अपशब्द नहीं कहेगा, चोट नहीं पहुंचायेगा अथवा हाथापाई करने का प्रयास नहीं करेगा.

3. सदन की समितियों में सदस्यों के लिए आचार संहिता-

(क) यदि किसी समिति के सदस्य का समिति द्वारा विचार किए जाने वाले मामले में व्यक्तिगत, आर्थिक या प्रत्यक्ष रूचि है, तो वह समिति के सभापति के माध्यम से अध्यक्ष के समक्ष ऐसी रूचि भी अभिव्यक्त करेगा.

(ख) जब कभी भी समिति के सदस्यों को ऐसे कागजात या दस्तावेज वितरित किये जाते हैं, जिन पर गोपनीय अंकित होता है, ऐसे कागजातों या दस्तावेजों की विषय-वस्तु किसी सदस्य द्वारा असहमति के कार्यवृत्त या सदन के अंदर या किसी अन्य रूप में, अध्यक्ष की अनुमति के बिना उदघाटित नहीं की जायेगी तथा जहां ऐसी अनुमति प्राप्त हो गई है, अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में लगाया गया प्रतिबंध या दस्तावेज में वर्णित सूचना की मात्रा के रहस्योदघाटन पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन किया जाएगा.

(ग) किसी समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य का समिति के किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति द्वारा प्रकाशन नहीं किया जाएगा, जब तक इसे सदन के पटल पर न रख दिया जाए.

4. राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदस्यों के लिए आचार-संहिता

(क) यदि कोई सदस्य सदन में राज्यपाल के अभिभाषण को अवरूद्ध करता है या बाधा डालता है, अभिभाषण के पहले या उसके दौरान या अभिभाषण के बाद, जब राज्यपाल सदन में उपस्थित हो, किसी भाषण या व्यवस्था के प्रश्न द्वारा या बहिर्गमन करके या किसी अन्य तरीके से, ऐसी बाधा, अवरोध या असम्मान का प्रदर्शन राज्यपाल के प्रति निरादर माना जाएगा तथा संबंधित सदस्य/सदस्यों की ओर से पूर्णत: अमर्यादित व्यवहार माना जाएगा तथा सदन की अवमानना माना जा सकता है जिस पर तदनन्तर किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के बाद सदन द्वारा उस विचार किया जाएगा.

(ख) यदि कोई सदस्य विरोध स्वरूप राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार करना चाहता है, तो वह, राष्ट्र-गान गायन/वादन के तुरंत बाद तथा राज्यपाल द्वारा अभिभाषण प्रारंभ करने से पहले सदन से बहिर्गमन कर सकता है.

5. सदन के बाहर सदस्यों के लिए आचार-संहिता तथा सामान्य आचरण सिद्धांत

(क) सदस्यों को गोपनीय रूप से उपलब्ध कराई गई सूचना या राज्य के विधान-मंडल की समितियों के सदस्यों के रूप में उपलब्ध, सूचना किसी के समक्ष प्रकट नहीं की जाएगी, न ही उनके द्वारा इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस व्यवसाय में उपयोग किया जाएगा जिसमें वे संलग्न हैं, जैसे-समाचार पत्रों के सम्पादक या संवाददाता के रूप में या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के स्वामी के रूप में इत्यादि.

(ख) कोई सदस्य किसी प्रतिष्ठान, कंपनी या संगठन के लिए सरकार के कार्य प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा, जिसके साथ वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है.

(ग) कोई सदस्य ऐसे प्रमाण-पत्र नहीं देगा जो तथ्यों पर आधारित न हों.

(घ) कोई सदस्य उसे आवंटित सरकारी आवास के परिसर को किराये पर देकर लाभ अर्जित नहीं करेगा.

(ड.) कोई सदस्य सरकारी अधिकारियों या मंत्रियों को ऐसे मामले में अनावश्यक रूप से प्रभावित नहीं करेगा जिसमें वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय रूप से रूचि रखता हो.

(च) कोई सदस्य किसी ऐसे कार्य के लिए, जिसे वह किसी व्यक्ति या संगठन से करवाता है और जिसके लिए कार्य उसके द्वारा किया गया है, से किसी प्रकार की आवभगत प्राप्त नहीं करेगा न ही कोई मूल्यवान उपहार स्वीकार करेगा.

(छ) कोई सदस्य वकील या वैधानिक सलाहकार या विधि परामर्शदाता या सॉलिसीटर के रूप में किसी मंत्री या अर्द्ध-वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने वाले कार्यकारी अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होगा.

(ज) कोई सदस्य किसी भी स्थिति में किसी अन्य सदस्य को अपशब्द नहीं कहेगा, धमकी नहीं देगा, मारपीट नहीं करेगा.

(झ) सदस्य यात्रा आदि के दौरान विधान सभा सदस्य होने की मर्यादा का ध्यान रखेगा तथा कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करेगा जो कि सदस्य की मर्यादा के विरूद्ध हो तथा जिससे शासकीय नियमों/परंपराओं के पालन में असुविधा हो.

(ञ) कोई भी सदस्य किसी भी धर्म, जाति एवं पंथ का अनादर नहीं करेगा, न ही ऐसा कार्य करेगा जिससे भारतीय संविधान का उल्लंघन होता हो.

(ट) सदस्य द्वारा भारतीय संविधान का अनुसरण किया जाना चाहिए तथा इसकी प्रतिष्ठा एवं मान-मर्यादा बनाए रखनी चाहिए.''.

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.